कुपोषण से लड़ाई : कठिन डगर

नंदलाल मिश्र

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के 194 देशों में वैश्विक विकास एजेंडा 2030 पर सहमति बनी जिसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए। एसडीजी दो भूख उन्मूलन के पहले दो टारगेट विश्वभर में भुखमरी और कुपोषण को जड़ से खत्म करने और बच्चों, किशोरियों, गर्भवती स्त्रियों, वृद्धों और दयनीय स्थिति में रह रहे लोगों को वर्षभर सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने पर बल देते हैं। वहीं एसडीजी तीन सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य के तहत टारगेट संख्या चार गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों को एक तिहाई कम करने की बात कहता है

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी का एक प्रसिद्ध वक्तव्य है, *भूख के खिलाफ़ जंग ही मानवता की आज़ादी का असली जंग है* तो क्या हम हिंदुस्तानी मानवता की इस आज़ादी को अब तक हासिल कर पाए हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के सात दशक बीत जाने के बाद भी आम भारतीयों खासकर महिलाओं एवं बच्चों में भूख और पोषण का स्तर बेहद चिंताजनक है। वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक पोषण रपट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे आदि सभी स्रोतों के आँकड़े भारत में भूख और कुपोषण में लिपटी बहुजन की बदहाली को बयां करते हैं जो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के मुताबिक आज़ादी के वक्त से आज तक जस की तस कायम है। इस आलेख का मुख्य मकसद सरकार, नीति-नियंताओं, युवाओं और सबसे अहम देश की अवाम को भूख और कुपोषण की भयावह यथास्थिति से रूबरू कराना है ताकि अब और अधिक समय तक इस विभीषिका की उपेक्षा न की जाए।

भूख और कुपोषण की मौजूदा स्थिति

दीर्घ काल से भूख की समस्या से ग्रसित दुनिया का हर चौथा व्यक्ति हिंदुस्तानी है। मसलन भारत दुनिया की सबसे बड़ी भूखी आबादी (19 करोड़ जो देश की कुल आबादी का 14.5 फ़ीसद है) वाला मुल्क है। वैश्विक भूख सूचकांक 2017 (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) की 119 देशों की सूची में भारत 100वें स्थान पर है। यह सूची बताती है कि देश में भूख और कुपोषण की समस्याएं कितनी गंभीर हैं। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) द्वारा जारी इस सूची के मुताबिक भारत में भूख की समस्या लगभग उत्तर कोरिया और इराक जैसी ही है। एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन काफी निम्न दर्जे का है। हम केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुकाबले ही बेहतर स्थिति में हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 (एनएफएचएस-4) के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पाँच साल से कम उम्र के 38 फ़ीसदी बच्चे ठिगनापन (स्टंटिंग) के शिकार हैं। मतलब हर तीसरे बच्चे की लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। वहीं 21 प्रतिशत बच्चे अल्पपोषित (वेस्टिंग) हैं, यानी देश का हर पाँचवाँ बच्चा अपनी लंबाई के अपेक्षाकृत दुबला है। तो 36 प्रतिशत बच्चे कम वजन (अंडरवेट) के हैं। मसलन हरेक तीसरा बच्चा अपनी उम्र के मुकाबले कम वज़न वाला है। जबकि 2 फ़ीसदी बच्चे अधिक वजन के यानी ओवरवेट हैं। ये सभी दोष बच्चों में कुपोषण की विभिन्न स्थितियों को रेखांकित करती हैं।

वयस्कों में देखा जाए तो 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की आबादी में 23 फ़ीसदी महिलाएँ तो 20 प्रतिशत पुरुष अपेक्षाकृत दुबले (BMI<18.5) हैं जबकि 21 फ़ीसदी महिलाएँ और 19 प्रतिशत पुरुष अधिक वजन या मोटापा (BMI>24.9) से जूझ रहे हैं। गरीब परिवार और अनपढ़ माताओं के बच्चे कुपोषण दोषों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। बच्चों में ठिगनापन के मामले

नंदलाल मिश्र मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान में जनसंख्या अध्ययन विषय में स्नातकोत्तर श्रेणी के छात्र हैं और सतत विकास लक्ष्य संबंधी शोध कार्यों से जुड़े हैं। ईमेल: nandlal.iips@gmail.com

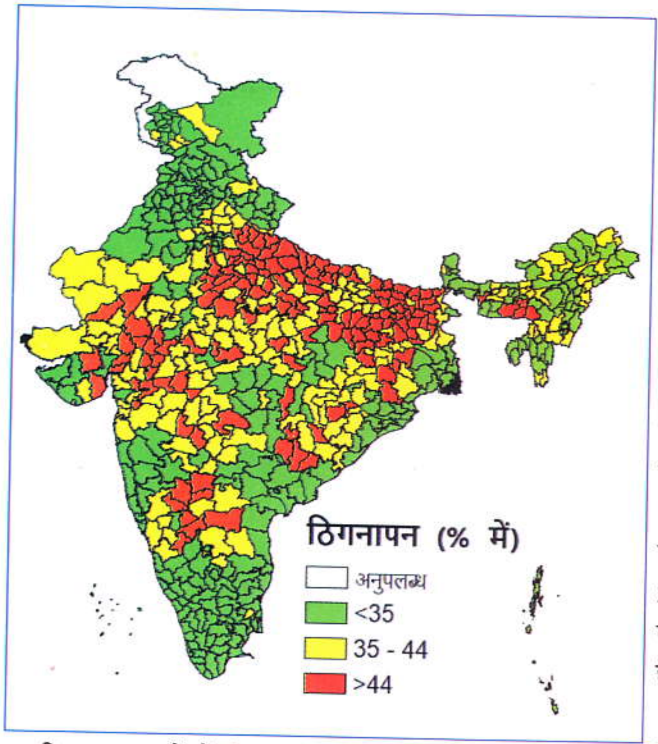

मानचित्र 1: बच्चों में जिलावार ठिगनापन (स्टंटिंग, % में);
स्रोत: एनएफएचएस-4

शहरी (31%) इलाकों की तुलना में ग्रामीण (41%) आबादी में अधिक सामान्य हैं। एन.एफ.एच.एस-4 की रिपोर्ट के अनुसार अल्पपोषित (दुबली) माताओं के बच्चों में कुपोषण दोष विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत काफी अधिक होती है।

यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन फंड के अनुसार भारत में बाल विवाह रोधी कानून होने के बावजूद हर चौथी लड़की 18 वर्ष से कम उम्र में ही ब्याह दी जाती है। ऐसी अवयस्क महिलाओं की होनेवाली संतानों में कुपोषण दोष का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। देश में तीस फ़ीसदी बच्चे अल्पपोषित (जन्म के समय सामान्य से कम वजन वाले) अवस्था में पैदा होते हैं। इस प्रकार देश की आबादी में हर साल 70 लाख कुपोषित बच्चे जुड़ते चले जाते हैं। *ग्लोबल अलायन्स फ़ॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन* की स्वतंत्र निदेशिका विनीता बाली इसे पीढ़ीगत कुपोषण चक्र की संज्ञा देती हैं।

अगर हम एनएफएचएस-3 (2005-06) से वर्तमान स्थिति की तुलना करें तो पाते हैं कि बीते एक दशक में ठिगनापन (स्टंटिंग) तथा कम वजन (अंडरवेट) के शिकार बच्चों के अनुपात में क्रमशः 10 तथा 7 प्रतिशत की कमी आयी है। वहीं अल्पपोषण (वेस्टिंग) के मामले बीते दस सालों में 20 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गए। आईएफपीआरआई के मुताबिक बाकी के सिर्फ तीन देशों जिबोटी, श्रीलंका और दक्षिणी सूडान में यह दर 20 प्रतिशत से अधिक है। अल्पपोषण की दिशा में पिछले 25 सालों में भारत में सुधार नगण्य ही रहा है।

एनएफएचएस-4 के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के बच्चों में ठिगनापन के मामले 45 प्रतिशत से अधिक हैं जबकि केरल और गोवा में 20 फ़ीसदी बच्चे ठिगनापन से पीड़ित हैं। अल्पपोषण या दुबलेपन के मामले में झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की स्थिति बदतर (25% से अधिक) है जबकि मणिपुर, मिज़ोरम की स्थिति सबसे बेहतर (7% से कम) है। वहीं कम वजन के मामले झारखंड, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में सर्वाधिक सामान्य (39% से अधिक) तो सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में सबसे कम (15% से कम) दर्ज किए गए हैं। वयस्कों के संदर्भ में झारखंड एवं बिहार सर्वाधिक अल्पपोषण ग्रसित राज्य हैं वहीं गोवा, आंध्रप्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु में मोटापा का प्रभाव सबसे ज्यादा है। विश्व में दिनों दिन मोटापा और इससे जुड़ी *असंक्रामक* बीमारियों की समस्याएँ बढ़ती ही जा रही हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कुल मिलाकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में कुपोषण की स्थिति सबसे भयावह है। उत्तर पूर्व के राज्यों और केरल, गोवा, तमिलनाडु आदि प्रदेशों की स्थिति बेहतर ज़रूर है लेकिन विकसित देशों के मुकाबले बिलकुल भी संतोषजनक नहीं।

दीर्घ काल से भूख की समस्या से ग्रसित दुनिया का हर चौथा व्यक्ति हिंदुस्तानी है। मसलन भारत दुनिया की सबसे बड़ी भूखी आबादी (19 करोड़ जो देश की कुल आबादी का 14.5 फ़ीसद है) वाला मुल्क है। वैश्विक भूख सूचकांक 2017 (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) की 119 देशों की सूची में भारत 100वें स्थान पर है। यह सूची बताती है कि देश में भूख और कुपोषण की समस्याएं कितनी गंभीर हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक बीते पाँच साल में पैदा हुए मात्र 42 प्रतिशत बच्चों को ही जन्म के एक घंटे के भीतर (जैसा कि डॉक्टर सलाह देते हैं) स्तनपान कराया गया। नवजात को समय से स्तनपान कराने के मामले में अनपढ़ और ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाएँ काफी पीछे हैं। ऐसे मामले सामान्य तौर पर गैर-संस्थागत प्रसव में अधिक देखे गए हैं।

देश में छह माह से कम उम्र के सिर्फ 55 फ़ीसदी बच्चों को ही एक्सक्लूसिव स्तनपान (जन्म से छह माह तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध, जैसा कि डॉक्टर सुझाव देते हैं) का अवसर नसीब हो पाता है। हालाँकि इस दिशा में बीते दस वर्षों में 9 फ़ीसदी इज़ाफा हुआ है। अच्छी बात यह है एक्सक्लूसिव स्तनपान का माध्य मात्र बीते दस वर्षों में 45 प्रतिशत बढ़ कर 2.9 माह हो गया है। बीते दस वर्षों में किसी भी प्रकार के स्तनपान कराने की अवधि का माध्य भी 24.4 माह से बढ़कर 29.6 माह हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में किसी भी प्रकार के स्तनपान कराने की अवधि का माध्य शहरी इलाकों से बेहतर है। लेकिन शहरी नवजात को ग्रामीण नवजात की तुलना में बेहतर अनुपात में पूरक पोषक आहार उपलब्ध हो पाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवजात के समुचित विकास और सुपोषण के लिए

निर्धारित *न्यूनतम ग्राह्य आहार* मानदंड की बात करें तो भारत की स्थिति बेहद ख़राब है। एनएफएचएस-4 के आंकड़ों के मुताबिक मात्र 10 फ़ीसदी 6-23 माह आयुवर्ग के बच्चों को *न्यूनतम ग्राह्य आहार* नसीब हो पाता है। इस मामले में तमिलनाडु और पुड्डुचेरी का प्रदर्शन सराहनीय (30 प्रतिशत से अधिक) जबकि राजस्थान, चंडीगढ़ और दादर व नगर हवेली की हालत दयनीय (3 प्रतिशत से भी कम) है।

मौजूदा दौर में देश का एक बड़ा तबका, खासकर महिलाएँ, और बच्चे एनीमिया की बीमारी से जूझ रहा है। एनीमिया का तात्पर्य खून में हीमोग्लोबिन और लौह-खनिज की कमी से है। विकासशील देशों की कुपोषित आबादी में यह एक बेहद कॉमन बीमारी है। एनएफएचएस-4 के अनुसार 6 से 59 माह आयुवर्ग के 58 फ़ीसदी बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं जो 2005-06 (70 प्रतिशत) से बेहतर प्रदर्शन है लेकिन आँकड़े अभी भी खतरे के निशान से काफी ऊपर हैं। बच्चों में एनीमिया के मामले हरियाणा (72%), झारखंड (70%) और मध्यप्रदेश (69%) में सर्वाधिक दर्ज किए गए हैं जबकि सबसे कम मामले (25 फ़ीसदी से कम) मिजोरम, नागालैंड एवं मणिपुर में पाए गए हैं।

वयस्कों में देखें तो 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 53 फ़ीसदी महिलाएँ जबकि 23 प्रतिशत पुरुष रक्त-अल्पता (एनीमिया) से ग्रसित हैं। बीते दस सालों में इस आँकड़े में नगण्य सुधार हुआ है। ज़ाहिर है वर्षों से देश में हर दूसरी औरत (15-49 आयु वर्ग में) खून की कमी से जूझ रही है और उनके बच्चे भी स्वाभाविक रूप से एनीमिया की जद में आ जाते हैं। ग़रीब तबके में यह समस्या धनवान समुदाय के अपेक्षाकृत अधिक मौजूद है। औरतों में एनीमिया की मौजूदगी झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्रप्रदेश में 60 प्रतिशत से भी अधिक है जबकि मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड की स्थिति सबसे कम ख़राब (30 प्रतिशत से कम) है।

इस प्रकार आंकड़ों से ज़ाहिर है कि भूख और कुपोषण के मामले में भारत के मौजूदा हालात बेहद ख़राब और दुखद हैं।

बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के बच्चों में ठिगनापन के मामले 45 प्रतिशत से अधिक हैं जबकि केरल और गोवा में 20 फ़ीसदी बच्चे ठिगनापन से पीड़ित हैं। अल्पपोषण या दुबलेपन के मामले में झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की स्थिति बदतर (25% से अधिक) है जबकि मणिपुर, मिज़ोरम की स्थिति सबसे बेहतर (7% से कम) है। वहीं कम वजन के मामले झारखंड, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में सर्वाधिक सामान्य (39% से अधिक) तो सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में सबसे कम (15% से कम) दर्ज किए गए हैं।

यह गंभीर चिंता और उससे भी आगे शर्म की बात है कि 21वीं सदी के भारत में भी हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप में कुपोषित या रोगग्रस्त है। बीते ढाई दशकों में भारत बहुत तेज़ी से आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है लेकिन कटु सत्य यह भी है कि हम अपने आर्थिक विकास दर को बहुजन की समृद्धि, खुशहाली और शांति में परिणत कर पाने में नाकाम रहे हैं।

भावी लक्ष्य और तैयारियाँ

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के 194 देशों में वैश्विक विकास एजेंडा 2030 पर सहमति बनी जिसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए। एसडीजी दो *भूख उन्मूलन* के पहले दो टारगेट विश्वभर में भुखमरी और कुपोषण को जड़ से ख़त्म करने और बच्चों, किशोरियों, गर्भवती स्त्रियों, वृद्धों और दयनीय स्थिति में रह रहे लोगों को वर्षभर सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने पर बल देते हैं। वहीं एसडीजी तीन *सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य* के तहत टारगेट संख्या चार गैर-संक्रामक बीमारियों (जो बहुत हद तक खान-पान के तौर-तरीकों से जुड़ी हैं) से होने वाली मौतों को एक तिहाई कम करने की बात कहता है। एसडीजी इंडेक्स 2017 के मुताबिक़ इनमें से अधिकांश लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भारत के प्रयासों को सबसे निम्न श्रेणी का आँका गया है।

वर्तमान हालात और आंकड़ों को देख कर भारत का इन लक्ष्यों को पूरा कर पाना दूर-दूर तक संभव नहीं दिख रहा है। गौरतलब है कि हम सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के तहत सुनिश्चित भूख और कुपोषण संबंधी लक्ष्यों को भी पूरा करने में बुरी तरह से असफल रहे थे। हालाँकि वर्तमान सरकार ने हाल के वर्षों में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या को गंभीरता से लिया है और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसके तहत भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से अगले तीन वर्ष के लिए लगभग 9046 करोड़ रुपये के बजट का

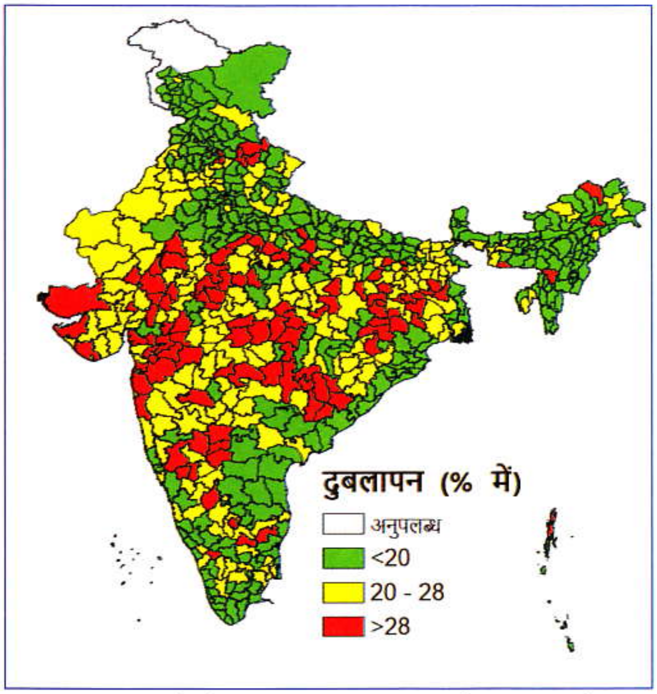

मानचित्र 1: बच्चों में जिलावार दुबलापान (वेस्टिंग, % में);
स्रोत: एनएफएचएस-4

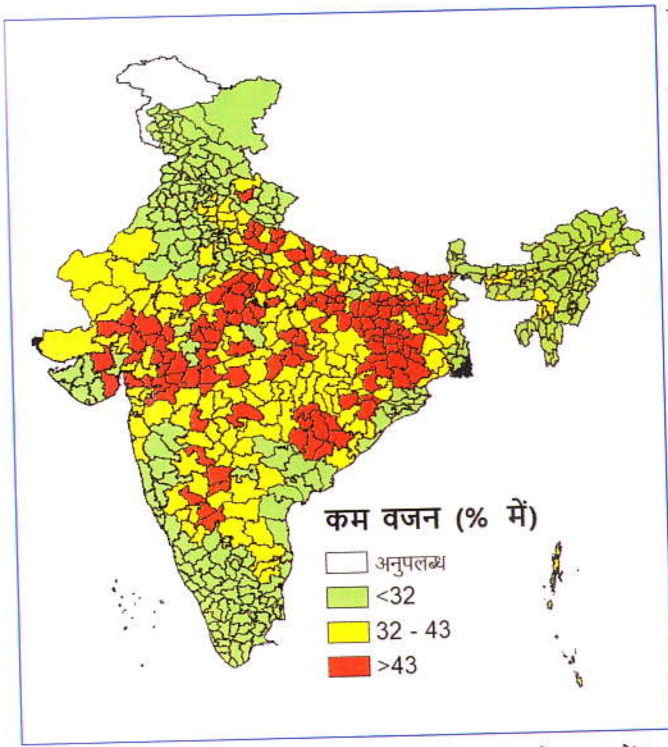

मानचित्र 1: बच्चों में जिलावार कम वजनी (अंडरवेट, % में);
स्रोत: एनएफएचएस-4

प्रावधान करते हुए देश के 115 पिछड़े जिलों में प्रति वर्ष ठिगनापन, अल्पपोषण और एनीमिया के मामलों तथा कम वजन वाले बच्चों की तादाद में क्रमशः 2, 2, 3 तथा 3 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

साथ ही वर्तमान सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों में भूख, कुपोषण और स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक राष्ट्रीय पोषण रणनीति तैयार की है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत पूरक पोषण हेतु तीन साल के लिए अतिरिक्त 12 हज़ार करोड़ राशि आवंटन की गयी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू कर गर्भवती स्त्रियों के पोषण के लिए नकद 5000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा सरकार फिलहाल कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकने हेतु इन्हें आधार कार्ड और बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ने पर भी काम कर रही है। हालाँकि इस पहल से कई नई समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जिनका ज़िक्र अर्थशास्त्री ज्याँ द्रेज ने अपने लेखों में बखूबी किया है। इन नीतियों पर योजना के इसी अंक के अन्य आलेखों में विस्तृत प्रकाश डाला गया है।

आज नई पहल को पहले से चली आ रही योजनाओं से जोड़कर इन पर प्रभावी ढंग से अमल करने की जरूरत है। इन नई नीतियों की अहम खासियत यह है कि इनके क्रियान्वयन में 'इंटीग्रल अप्रोच' को अपनाया गया है। सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को नीति आयोग की देखरेख में काम करने की व्यवस्था की गयी है। अब यह तो वक्त ही बतायेगा कि इन योजनाओं का कुछ ठोस फ़ायदा होता है या ये भी ढाक के तीन पात साबित होते हैं।

कमियों को सुधारें

भारत गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है: पोषण और जीवन स्तर में वृद्धि करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सरकार का दायित्व है। ऐसा नहीं है कि बीते सत्तर सालों में सरकारों ने भूख और कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। समय के साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाएं और नीतियाँ अस्तित्व में आई। एकीकृत बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना, जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी कार्यक्रम आदि दुनिया की सबसे बड़ी कुपोषण निवारण योजनाएँ भारत में बरसों से चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में पिछली यूपीए सरकार के मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन देश में बड़े पैमाने पर कोई स्पष्ट बदलाव नहीं हुआ है। इसकी कई वजहें हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में 40 फ़ीसदी खाना बर्बाद हो जाता है। वहीं एक और आँकड़े के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया एक साल में जितना गेहूँ उपजाता है उतना गेहूँ भारत में समुचित भंडारण के अभाव में हर साल बर्बाद हो जाता है। इस स्थिति पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था- एक ओर देश में हर साल उचित भंडारण के अभाव में लाखों टन अनाज सड़ जाता है जबकि दूसरी ओर करोड़ों भारतीयों को भूखे पेट सोना पड़ता है।

(1) ग़रीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ़-सफाई और पोषण संबंधी विभिन्न सरकारी योजनाओं में तालमेल और समावेशी दृष्टिकोण व एकजुटता का अभाव। साथ ही राष्ट्रीय समस्याओं में पोषण को निम्न वरीयता दिया जाना।

(2) योजनाओं पर तंत्र द्वारा सदाशयता और शिद्दत से अमल नहीं करना और भ्रष्टाचार और प्रक्रियात्मक विसंगतियों की भारी मार।

(3) किशोरियों की कमजोर सामाजिक, शारीरिक व मानसिक स्थिति जैसे अशिक्षा, अपरिपक्व उम्र में विवाह और अतिरिक्त बच्चों का बोझ, खून की कमी इत्यादि।

(4) पोषण, समुचित आहार, साफ़-सफाई, टीकाकरण, सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ उठाने संबंधी व्यापक जन-जागरूकता की कमी।

(5) अनाज और भोजन की बेहिसाब बर्बादी।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में 40 फ़ीसदी खाना बर्बाद हो जाता है। वहीं एक और आँकड़े के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया एक साल में जितना गेहूँ उपजाता है उतना गेहूँ भारत में समुचित भंडारण के अभाव में हर साल बर्बाद हो जाता है। इस स्थिति पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था- एक ओर देश में हर साल उचित भंडारण के अभाव में लाखों टन अनाज सड़ जाता है जबकि दूसरी ओर करोड़ों भारतीयों को भूखे पेट सोना पड़ता है। सर्वोच्च अदालत की इस कठोर टिप्पणी के बाद भी हालात जस के तस हैं। अनाज के समुचित भंडारण और वितरण की व्यवस्था कर कम से कम हम भुखमरी की

समस्या से पूर्णत: निजात पा सकते हैं। बाकी अन्य संस्थागत सुधारों जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है के द्वारा कुपोषण की समस्या को समूल समाप्त किया जा सकता है। बस जरूरत है दृढ़ इच्छाशक्ति और समन्वित पहल की। सबसे बड़ी त्रासद बात तो यह है कि देश की चुनावी राजनीति में भूख और पोषण जैसे बुनियादी मुद्दों का कहीं कोई स्थान ही नहीं है।

वैश्विक पोषण रपट 2017 भी बताती है कि पोषण को गरीबी खत्म करने, बीमारियों से लड़ने, शैक्षिक मानकों को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसे प्रयासों के हृदय में रखने की ज़रूरत है। रिपोर्ट विकास के अन्य सभी मुद्दों के साथ ही कुपोषण के मुद्दे को भी विशेष स्थान देने पर जोर देती है।

एक कहावत है- *भूखे भजन न होई गोपाला।* मतलब भूखे पेट भगवान का भजन भी नहीं हो सकता है। फिर सबसे बड़ी भूखी और कुपोषित आबादी वाला यह मुल्क अपनी आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक तरक्की कैसे सुनिश्चित करेगा। सो अगर हम खुद को विश्व महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मिलजुलकर भूख और कुपोषण की विकराल समस्याओं से निजात पाना होगा। वरना वक्त बीतता चला जाएगा और आम अवाम की सामूहिक बदहाली बदस्तूर कायम रहेगी।

पोषण: आर्थिक विकास की नींव

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक तरक्की की बुनियाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूलत: उसके नागरिकों के पोषण स्तर पर टिकी होती है। कुपोषण और आर्थिक बदहाली में परस्पर कार्य-कारण संबंध है। ग़रीबी और अभाव भूख और कुपोषण को जन्म देते हैं जबकि भूख और कुपोषण मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमता को कमजोर कर देते हैं और कई बार रोगग्रस्त भी। जिसका सीधा असर कार्य-क्षमता और फलस्वरूप आमदनी पर पड़ता है जो अंतत: ग़रीबी को जन्म देती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है लेकिन दुर्भाग्यवश बड़ी तादाद में हमारे युवा ग़रीब हैं, भूखे और अधनंगे हैं, कुपोषित और अस्वस्थ हैं, अशिक्षित हैं और उनमें कौशल एवं दक्षता का अभाव है। ऐसे में हम अपनी जनसंख्या की 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' स्थिति का भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ बरस बाद यह युवा आबादी बुजुर्गों और वृद्धों के विशाल आश्रित आबादी में तब्दील हो जाएगी जो अर्थव्यवस्था पर बोझ होगा।

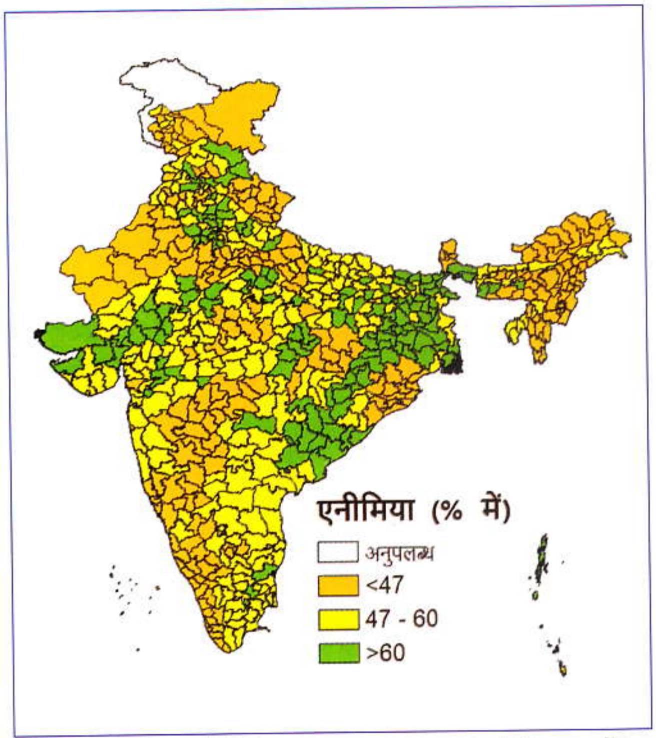

मानचित्र 1: महिलाओं में जिलावार रक्त-अल्पता (एनीमिया, % में);
स्रोत: एनएफएचएस-4

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2016 में कहा गया है कि कुपोषण की रोकथाम पर खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर आर्थिक तरक्की में 16 डॉलर का योगदान करता है। नवंबर 2014 में दि गार्डियन में प्रकाशित एक लेख में कोपेनहेगन कन्सेन्सश सेंटर के आंकड़ों के हवाले से भी कहा गया कि भारत पोषण में प्रत्येक डॉलर का निवेश कर औसतन 134 डॉलर के खर्च (स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि पर) की बचत कर सकता है। वहीं विश्व बैंक के एक आकलन के मुताबिक भारत को कुपोषण के फलस्वरूप निम्न उत्पादकता से जीडीपी की वार्षिक विकास दर में 2-3 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 भी इस बात को स्वीकार करता है कि माताओं और बच्चों के जीवन शैली और पोषण में निवेश द्वारा मानव संसाधन के रूप में बेहतर प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। आज के दौर की दरकार है कि हम विशुद्ध आर्थिक विकास के साथ साथ अपने मानव संसाधन में बेहतर निवेश को प्रोत्साहित करें।

एक कहावत है- *भूखे भजन न होई गोपाला।* मतलब भूखे पेट भगवान का भजन भी नहीं हो सकता है। फिर सबसे बड़ी भूखी और कुपोषित आबादी वाला यह मुल्क अपनी आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक तरक्की कैसे सुनिश्चित करेगा। सो अगर हम खुद को विश्व महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मिलजुलकर भूख और कुपोषण की विकराल समस्याओं से निजात पाना होगा। वरना वक्त बीतता चला जाएगा और आम अवाम की सामूहिक बदहाली बदस्तूर कायम रहेगी। ❑

संदर्भ

- राष्ट्रीय परिवार स्वाथ्य सर्वेक्षण 3 एवं 4; आईआईपीएस मुंबई
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017; आईएफपीआरआई
- ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016 एवं 2017; डीआईपीआरलि
- एसडीजी इंडेक्स 2017; यूएन-एसडीएसएन
- स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2017; एफएओ, संयुक्त राष्ट्र
- न्यूट्रिशन एटलस; राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद
- वी नीड ए न्यूट्रिशन मिशन; दि हिन्दू (23 जुलाई 2016)
- फ़ूड एंड न्यूट्रिशन, ज्याँ द्रेज
- नीति आयोग वेबसाइट, भारत सरकार।